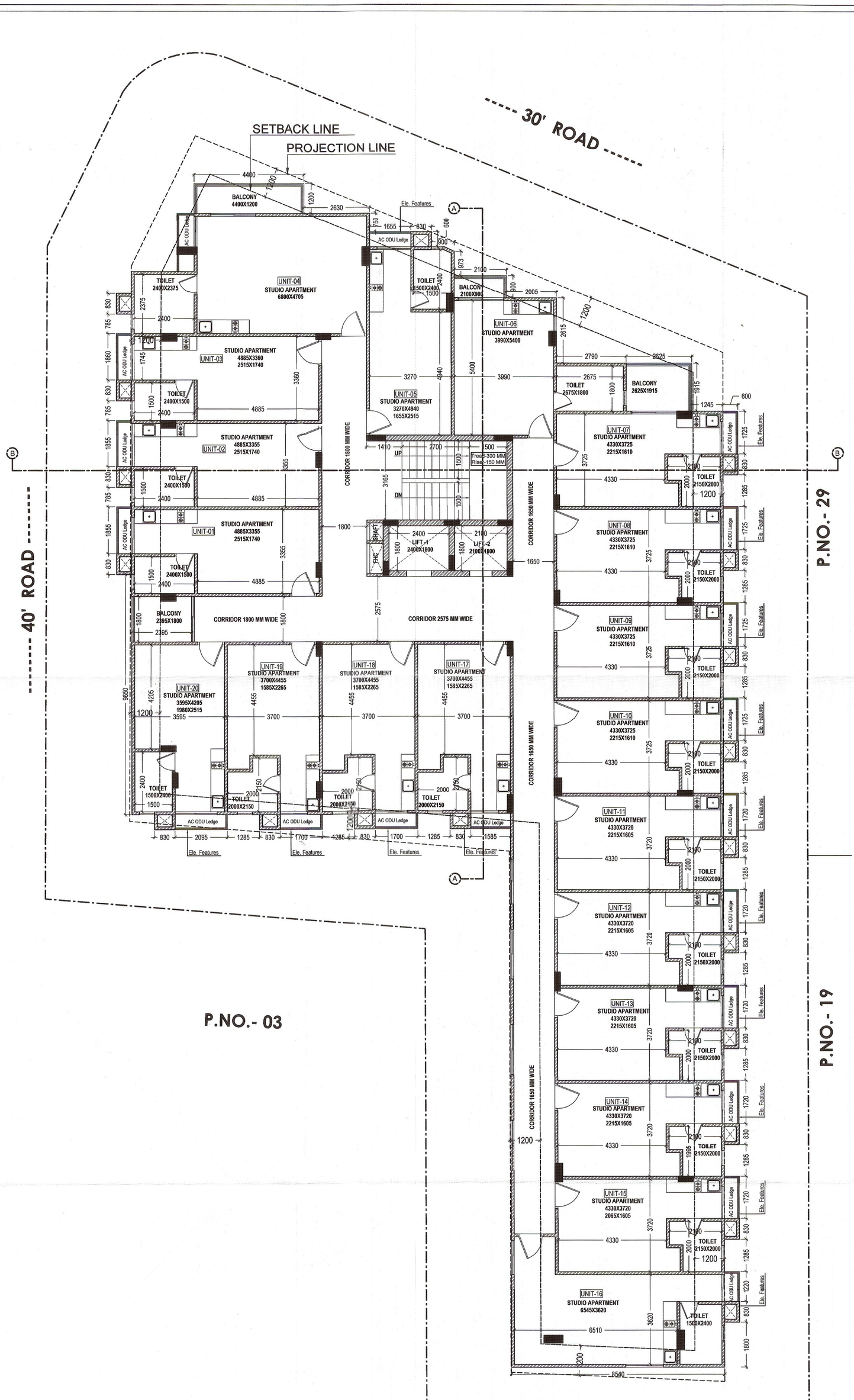

अनुमोदित

500 वर्गमीटर से बड़े व्यवसायिक/संस्थागत भूखण्डों में मौके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र की प्रति आम जनता के अवलोकनार्थ Prominently Display की जायेगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों के स्वीकृत भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा।

छत मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व संबंधित अधिकार ही प्रमाणित होगें। अनुमोदित किये गये मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Structure) का दायित्व संरचनात्मक मानचित्रों के अनुरूप प्रार्थी का होगा।

समस्त बहु निवास ईकाइ/फ्लैट्स/ग्रुप हाउसिंग इमारतों एवं व्यवसायिक/संस्थागत भवनों में आग लगते ही अलार्म एवं साथ ही अग्निशमन केन्द्र पर संभावित स्थान की स्वतः ही पूर्व सूचना भेजने वाले अग्निसूचक यंत्रों को लगवाया जाना आवश्यक है।

भॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के विनियम में वर्णित निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु विशेष प्रावधानों की सुनिश्चितता की जानी अनिवार्य होगी अन्यथा भवन निर्माता के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

PROJECT TITLE :

Okay PLUS Sapphire Suites in Association with CLKM

At Plot no.- 4,5,6 & 21
Shalimar Enclave,
Dr. Rajendra prasad nagar-a, Jaipur

CLIENT :

ARCHITECT-:

DRAWING TITLE -:

TYPICAL (Ground To 5TH) FLOOR PLAN

SCALE 1: 100	DATE - 28-04-2025
DEALT BY	STATUS SUBMISSION

CLIENT'S SIGN.

गीता देवी

ARCHITECT'S SIGN.

Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. CPMO
Office, C-Scheme, Jaipur (Raj.) 302001
CA/2009/45196
CTP Raj./Architects/2021/32

SHEET NO. - 3

NORTH -